## CERTIFICATE IN CONSUMER PROTECTION (CCP)

# Term-End Examination June, 2024 CPI-102: REDRESSAL OF CONSUMER GRIEVANCES: ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

Note: (i) This question paper is divided into three Parts—Part A, Part B and Part C.

(ii) All Parts are compulsory.

#### Part—A

Note: Write short notes on any four of the following from this Part in about 150 words. Each note carries 5 marks.

4×5= 20

- 1. Role of NGOs in consumer protection
- 2. Misleading advertisement
- 3. Allied organisation of FICCI
- 4. Basic requirements for an organization
- 5. SEBI Ombudsman-its power and functions

[2] CPI-102

#### Part—B

- Note: Answer any five of the following in about

  300 words each. Each question carries

  10 marks. 5×10=50
- 6. Discuss the role of National Consumer Helpline (NCH).
- 7. What are the differences between conciliation and mediation? Discuss.
- 8. What is meant by campaign and advocacy?

  Discuss the different types of advocacy.
- 9. Write a note on Confederation of Indian Industry (CII).
- 10. Write a note on consumer rights and its expansion.
- 11. What is meant by Consumer Interpol? Discuss the aims of Consumer Interpol.
- 12. Discuss the strategies of effective campaign and advocacy programmes.

[3] CPI-102

#### Part—C

- Note: Answer any two of the following questions in about 500 words each. Each question carries

  15 marks. 2×15=30
- 13. Discuss consumer welfare fund. Explain the eligibility for consumer welfare fund.
- 14. What are voluntary consumer organizations?

  Discuss some of the selected consumer organisations.
- 15. Write a note on Lok Adalatas. Discuss their advantages and disadvantages. Also write the difference between Mediation and Lok Adalat.
- 16. Write notes on the following:
  - (a) Impact of advertisements on consumers
  - (b) Need for media and its objectives

#### **CPI-102**

### उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र (सी. सी. पी.) सत्रांत परीक्षा

[4]

जून, 2024

सी.पी.आई.-102 : उपभोक्ता शिकायतों का निवारण : विविध हितधारकों की भूमिका

समय : 3 घण्टे अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) प्रश्न-पत्र **तीन** भागों—भाग क, भाग ख और भाग ग में विभाजित है।

(ii) सभी भाग अनिवार्य है।

#### भाग-क

- नोट: संक्षेप में किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ (प्रत्येक) लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक टिप्पणी 5 अंकों की है। 4×5=20
- 1. उदभोक्ता संरक्षण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
- 2. भ्रामक विज्ञापन

- 3. 'फिक्की' के संबद्ध संगठन
- 4. किसी संगठन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ
- 5. सेबी लोकपाल-इसकी शक्तियाँ एवं प्रकार्य

#### भाग-ख

- नोट: निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** के उत्तर (प्रत्येक) लगभग **300** शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 5×10=50
- 6. राष्ट्रोय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन. सी. एच.) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- सुलह और मध्यस्थता के बीच क्या अन्तर हैं ? चर्चा कीजिए।
- अभियान और पक्ष-समर्थन (हिमायत) से क्या अभिप्राय है ? पक्ष-समर्थन (हिमायत) के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए।
- भारतीय उद्योग पिरसंघ (सी. आई. आई.) पर एक नोट लिखिए।
- उपभोक्ता अधिकार एवं इनके विस्तार पर एक नोट लिखिए।
- कन्ज्युमर इंटरपोल से क्या अभिप्राय है ? कन्ज्युमर इंटरपोल के लक्ष्यों की चर्चा कीजिए।

12. किसी प्रभावी अभियान एवं पक्ष-समथन (हिमायत) कार्यक्रम की रणनीतियों की चर्चा कीजिए।

#### भाग-ग

- नोट: निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 2×15=30
- 13. उपभोक्ता कल्याण निधि की चर्चा कीजिए। उपभोक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित पात्रता का वर्णन कीजिए।
- 14. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन क्या हैं ? कुछ चुनिंदा उपभोक्ता संगठनों की चर्चा कीजिए।
- 15. लोक अदालतों पर एक नोट लिखिए। इनके लाभ एवं दोषों की चर्चा कीजिए। मध्यस्थता और लोक अदालत के बीच का अन्तर भी लिखिए।
- 16. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
   (क)उपभोक्ताओं पर विज्ञापनों का प्रभाव
   (ख)मीडिया की आवश्यकता एवं इसके उद्देश्य